राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

पीठासीन अधिकारी – सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 140 / 2020 GCMS No. 2020/274

1. अमर सिंह दत्तक पुत्र रामनाथ जाति जाट निवासी मोई सददा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
2. जयपाल
3. फुल सिंह
4. महेन्द्र पुत्रान जोखी जाति जाट निवासी मोई सददा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
5. मनभरी पत्नी जुगलाल
6. महेन्द्र सिंह पुत्र जोखी
7. विजय सिंह
8. सत्यवीर
9. हरिसिंह पुत्रान जुगलाल जाति जाट निवासी मोई सददा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
10. राजपाल पुत्र सरदाराराम जाति जाट निवासी मोई सददा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
11. सुमेर
12. सुनिल
13. अनिल पुत्रान रामस्वरूप जाति जाट निवासी मोई सददा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
14. केसरी पत्नी रामस्वरूप
15. कुलदीप पुत्र चुन्नी लाल जाति जाट निवासी मोई सददा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
16. बदामी पत्नी चुन्नी लाल
17. मनभरी पत्नी जुगलाल
18. सुमेर
19. राजबीर पुत्रान लालचन्द जाति जाट निवासी मोई सददा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0

.......आवेदकगण

बनाम

1. प्रदीप
2. सन्दीप पुत्रान बिरजु जाति [illegible] बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
3. मोहिनी पत्नी बिरजु सिंह
4. सुनिता
5. सविता पुत्रियान बिरजु सिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.03 15:53:06 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

6. भगवान सिंह
7. मथरा प्रसाद पुत्रान कुरडाराम जाति जाट निवासी मोई सददा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
8. राजेश
9. सुमित्रा पुत्रियान चुन्नी लाल जाति जाट निवासी मोई सददा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
10. सुखबीर पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी मोई सददा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
11. जिले सिंह पुत्र होशियार सिंह
12. रामस्वरूप पुत्र होशियार सिंह जाति जाट निवासी मोई सददा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
13. टिडो पत्नी मनफुल
14. दयाकोर पत्नी होशियार सिंह
15. धर्मेन्द्र पुत्र मनफुल
16. धर्मपाल पुत्र सरदार
17. बलबीर पुत्र सरदार **(फौत)**

17/1 योगेन्द्र पुत्र बलबीर

17/2 नवजोत सिंह पुत्र बलबीर

17/3 प्रियंका पुत्री बलबीर

18. मनोज पुत्र सरदार
19. रणवीर पुत्र सरदार
20. राजवीर पुत्र लालचन्द
21. राजेश पुत्र मनफुल
22. रामस्वरूप पुत्र होशियार
23. श्योबाई पत्नी सरदार
24. सुखबीर पुत्र सरदार
25. संतरा
26. सुनिता पुत्रियान सरदार जाति जाट निवासी मोई सददा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
27. सुमेर सिंह पुत्र लालचन्द
28. अजय कुमार पुत्र शीशराम
29. अमर सिंह
30. ईश्वर सिंह पुत्रान भाना **(फौत)**

30/1 किताबो देवी पत्नी ईश्वर सिंह

30/2 प्रदीप पुत्र ईश्वर सिंह

30/3 संजय पुत्र ईश्वर सिंह

30/4 सुमन पुत्री ईश्वर सिंह

31. खजानी देवी पत्नी कर्मचन्द

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.03 15:53:06 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

32. दरिया सिंह पुत्र भाना
33. नागरराम पुत्र भाना जाति जाट निवासी मोई सददा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
34. बृजलाल पुत्र भाना
35. मनोज पुत्री कर्मचन्द
36. रविन्द्र पुत्र कर्मचन्द
37. विकास पुत्र कर्मचन्द
38. शीशराम पुत्र भाना
39. सुरजाराम पुत्र भाना जाति जाट निवासी मोई सददा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
40. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सिंघाना जरिये शाखा प्रबंधक सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
41. झुन्झुनूं सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड शाखा खेतड़ी जरिये शाखा प्रबंधक खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
42. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सिंघाना जरिये शाखा प्रबंधक सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
43. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

.......अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क)
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री मुकेश चौधरी	– आवेदकगण की ओर से
2. श्री विजयपाल	– अनावेदक सं. 16 की ओर से
3. श्री विकास	– अनावेदक सं. 9, 12 व 13 की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 01 –12–2022**

यह आवेदन पत्र आवेदकगण की ओर से इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम मोई सद्दा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0 के खाता सं. 2 के ख.नं. 103 रकबा 0.01 है., ख.नं. 104 रकबा 4.59 है., ख.नं. 113 रकबा 0.22 है., ख.नं. 114 रकबा 0.68 है., ख.नं. 119 रकबा 1.11 है., ख.नं. 120 रकबा 1.50 है., ख.नं. 124 रकबा 1.01 है., ख.नं. 52 रकबा 0.80 है., ख.नं. 6 रकबा 1.63 है. कुल किता 9 कुल रकबा 11.55 है. के खातेदार काश्तकार आवेदकगण दर्ज रिकार्ड है। अनावेदकगण के ख.नं. 119 रकबा 1.11 है., ख.नं. 120 रकबा 1.50 है. में मकानात व चाह का निर्माण कर आबाद है। वाके ग्राम मोई सद्दा तहसील बुहाना के ख.नं. 121 रकबा 4.31 है. के खातेदार अनावेदक सं. 28 लगा. 39 दर्ज रिकार्ड है। वाके ग्राम मोई सद्दा [illegible] 107 रकबा 1.44 है., ख.नं. 108 रकबा 6.72 है., ख.नं. 109 रकबा 0.40 है., ख.नं. 118 रकबा 0.80 है., ख.नं. 85 रकबा 1.49 है. ख.नं. 86 रकबा 1.17 है. के खातेदार अनावेदकगण [illegible] अनावेदकगण सं. 10 लगा. 27 दर्ज रिकार्ड है। आवेदकगण द्वारा ख.नं. 119 व ख.नं. 120 में मकानात व टयूब वैल का निर्माण कर आबाद है व ख.नं. 118 के पश्चिमी दिशा की मेड़ के सहारे–सहारे व ख.नं. 121 के मध्य से सिंघाना चिड़ावा जाने वाली सड़क पर जाते हैं इसी रास्ते से आवेदकगण अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.03 16:53:06 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

खेत में आने जाने के लिए ट्रेक्टर व गाड़ियों का उपयोग करते हैं व अपने खेतों में आने जाने के लिए उपयोग करते हैं। उक्त रास्ता प्रचलित है लेकिन राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है तथा ख.नं. 121 के खातेदारों ने भी मकानात बना रखे हैं तथा इसी रास्ते से आवागमन करते हैं। आवेदकगण को हाल ख.नं. 119, 120 में आवागमन में बाधा कारित होने से आवेदकगण को 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन करना आवश्यक हुआ है। ख.नं. 120 में एक ग्राम पंचायत द्वारा सार्वजनिक पानी की टंकी निर्मित है जिसका अनावेदकगण भी उपयोग करते हैं। ख.नं. 119 रकबा 1.11 है., ख.नं. 120 रकबा 1.50 है. आने जाने के लिए ख.नं. 118 की पूर्वी मेड के सहारे–सहारे उत्तर से दक्षिण ख.नं. 121 के मध्य से जिसको नजरी नक्शे में मार्क ए, बी, सी, डी से दर्शाया गया है में 12 फुट चौड़ा रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। आवेदकगण 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार शुल्क जमा करवाने को तैयार है।

अतः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम मोई सद्दा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0 के ख.नं. 119, 120, 118 के पूर्वी मेढ़ के सहारे–सहारे उत्तर से दक्षिण व ख. नं. 121 के मध्य से जिसको नजरी नक्शे में मार्क ए, बी, सी, डी से दर्शाया गया है में 12 फुट चौड़ा रास्ता कायम कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अनावेदकगण को जरिये नोटिस तलबी जारी की गई। अनावेदक सं. 30 से 34 व 37 ने जवाब आवेदन प्रस्तुत कर कथन किया है कि आवेदकगण ख.नं. 121 के बीचो बीच रास्ता मांगा है जबकि आवेदकगण द्वारा चाहे गये स्थान से रास्ता कायम करने से ख.नं. 121 के तीन टुकडे बन जायेंगे एक भूमि के विभाजन के बाद के बिना अर्थात् धारा 251 क राज0का0 अधिनियम के आवेदन में किसी कृषि भूमि को विभाजित नहीं किया जा सकता है इसलिए आवेदकगण ख.नं. 121 की पश्चिमी सीमा के उपर से ख.नं. 118 तक रास्ता कायम करवा सकते है इसलिये उनका वर्तमान आवेदन पत्र खारिज योग्य है। आवेदकगण की खातेदारी की भूमि ख.नं. 114 आम रास्ता से सटकर है एवं उसमें से रास्ता अपनी स्वयं की भूमि में से ले सकते हैं अनावेदकगण की भूमि में रास्ता नहीं ले सकते हैं ख.नं. 114 से सटकर ख.नं. 453 / 115 एवं ख.नं. 117 की सीमा पर से रास्ता कायम किया जा सकता है लेकिन ख.नं. 121 के बीचो बीच रास्ता कायम नहीं किया जा सकता है।

अनावेदक सं. 38 ने जवाब आवेदन प्रस्तुत कर अनावेदकगण सं. 30 से 34 व 37 द्वारा प्रस्तुत जवाब आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए आवेदकगण का आवेदन पत्र मय खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

अनावेदकगण सं. 1 से 29, 35, 36 व 39 से 43 बावजूद सम्यक् सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

तहसीलदार, बुहाना से विवादित भूमि के सम्बंध में मौका व राजस्व रिकार्ड की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार, बुहाना ने जरिये पत्र क्रमांक: भू.अ. / 2021 / 1882 दिनांक 20.04.2021 से भू–अभिलेख निरीक्षक वृत भैसा[illegible] की मूल बिन्दुवार रिपोर्ट संलग्न कर भिजवाई है जिसके अनुसार ख.नं. 121 [illegible] 120 का मौका निरीक्षण किया गया। ख.नं. 121 व 118 की पश्चिमी मेड के सहारे–सहारे चार मीटर चौड़ा रास्ता दर्शाया गया जो नक्शा ट्रेस में ए से बी दर्शाया [illegible] के खेत खसरा नंबर 119 तक पहुंचने का सबसे नजदीकी रास्ता है। ख.नं. [illegible] व 119 के बाद आवेदकगण की संयुक्त खातेदारी भूमि दर्ज है। अतः ख.नं. 119 के बाद आवेदकगण रास्ते के लिए अपनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.03 15:53:06 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

स्वयं की खातेदारी भूमि में ले सकते हैं। रास्ता ए से बी की लम्बाई 18 मीटर व चौड़ाई 4 मीटर है जो ख.नं. 121 में 25 मीटर लम्बाई तथा 4 मीटर चौड़ाई कुल क्षेत्रफल 100 वर्गमीटर तथा ख.नं. 118 में 56 मीटर लम्बी तथा 4 मीटर चौड़ी कुल क्षेत्रफल 224 वर्गमीटर है, अतः रास्ता ए से बी की कुल लम्बाई 81 मीटर चौड़ाई 4 मीटर कुल क्षेत्रफल 324 वर्गमीटर बनता है।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक वृत बुहाना का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। भू–अभिलेख निरीक्षक वृत बुहाना ने अपनी रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा में स्पष्ट किया है कि आवेदकगण को प्रस्तावित रास्ते की आवश्यकता अत्यांतिक है। प्रस्तावित रास्ते (नजरी नक्शा में दर्शित) के अतिरिक्त अन्य कोई निकटतम दूरी का रास्ता पहुंच के लिए उपलब्ध नहीं है। आवेदकगण को खसरा नंबर 119, 1120 में पहुंचने हेतु नजरी नक्शे में लाल स्याही से अंकित मार्ग निकटतम होगा। प्रस्तावित रास्तें में आनी वाली भूमि का क्षेत्रफल 324 वर्गमीटर बनता है। आवेदकगण के पास अपनी खातेदारी भूमि ख.नं. 119, 120 में आने–जाने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है। इस प्रकार आवेदकगण का आवेदन पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के प्रावधानों की पूर्ति करता है। अतः आवेदकगण का आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः मुताबिक रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षण वृत भैंसावता खुर्द के संलग्न नजरी नक्शा के आवेदकगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम मोई सद्दा पुरानी तहसील बुंहाना स्थित भूमि खसरा नंबर 119, 120 में जाने के लिए भू–अभिलेख निरीक्षक वृत भैंसावता खुर्द की रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा (प्रदर्श–अ) में लाल स्याही से अंकितानुसार कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। चूंकि पक्षकारान प्रतिकार की रकम पर आपस में सहमत नहीं हुए है। उक्त प्रस्तावित रास्ते की वर्तमान DLC की दर से 322 वर्गमीटर भूमि की दुगुनी राशि आवेदकगण तहसीलदार, बुहाना के समक्ष जमा करवायेंगे। तहसीलदार, बुहाना खसरा नंबर 118, 121 के खातेदारों/अनावेदकगणों को प्रतिकार की राशि नियमानुसार अदा करेंगें। तद्नुसार भूमि खसरा नंबर 118, 121 के रकबे में से रास्ते की बाबत 324 वर्गमीटर भूमि निर्वापित कर राजस्व रिकार्ड में किस्म ''गैर मुमकीन रास्ता'' के रूप में राजकीय खाते में अभिलिखित करेंगे।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

निर्णय आज दिनांक **01–12–2022** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित कर के इजलास में सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.03 15:53:06 IST
Reason: SelfAttested